न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 14/2021

अपीलार्थी

1. श्री रामसिंह पुत्र श्री रणसिंह जाति राजपूत निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री मांगुसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री तेजसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री नारायणसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री नारायणलाल कुम्हार अधिवक्ता अपीलांट।
2. नीरज कुमारी नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 08.09.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 61/2020 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 के विरूद्ध दिनांक 03.08.2021 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुम्हार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा ग्राम वीरोली पटवार हल्का नया सानवाडा तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 205 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै.मु.रास्ता पर अपीलार्थी को नये सर अतिक्रमी मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया [illegible] अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दि[illegible] अपीलांट को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 50/– का जुर्माना आरोपित [illegible] एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये गये । जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के बयान नहीं लिये गये है जिसमे पटवारी द्वारा पूर्व मे मौके से बेदखल करने का कथन सिद्ध नहीं होता है । अपीलान्ट को जिरह करने का कोई अवसर नही दिया गया है, ना ही अपीलांट को किसी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है । अपीलांट द्वारा न तो कोई अतिक्रमण किया गया है या विवादित भूमि पर कब्जा किया गया है ।

प्रथम पेशी पर ही उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है । इस संबंध मे उनके द्वारा विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2005(2) पेज 1474, आर.आर.डी. 1993 पेज 465, एवं आर.आर.डी. 2001 पेज 401 प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर काश्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है । अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नही हो सकती। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुॅ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2077 खरीफ मे अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसमे पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का नोटिस जारी नहीं किया गया है । विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी पूर्व तामिल कराया गया था एवं अपीलांट तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ । तामिलकुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पश्चात्वृति अतिक्रमण का नोटिस जारी किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये है मानने योग्य प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने पर उसकी उपस्थिति अंकित है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कथन अपने आदेशिका मे किया गया है कि अपीलान्ट हाजिर है। अलग से लिखे गये निर्णय मे उसे उपस्थित बताया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय पर अपने हस्ताक्षर दिनांक 21.09.2020 को किये जाने पाये जाते है।

नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा अपने निर्णय में पटवारी के रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी के हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। पटवारी द्वारा पूर्व मे अतिक्रमण हटाने बाबत् कथन अपनी रिपोर्ट मे नहीं किया गया है। पत्रावली पर पूर्ववर्ती अतिक्रमण के साक्ष्य मौजूद नहीं है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा जुर्माना राशि रूपये 50/–(अक्षरे पचास रूपये) पटवारी हल्का को जमा करा दिये गये है।

अपीलांट गरीब व्यक्ति है इसलिए उस पर नरमाई का रूख अपनाया जाना विधि सम्मत है उसके कारागृह मे रहने के कारण उसका परिवार मानसिक एवं आर्थिक पीडा भुगतने को विवश होगा जो न्याय के विपरित होगा । अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आरआरटी 2005(2) पेज 1474 रिविजन नं. 51 झुन्झुनु–2002 जो माननीय पी.सी.बलाई सदस्य, राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 17.5.2005 को निर्णित की गई उसके पैरा संख्या 7 मे भी नायब तहसीलदार, मलसीसर के सिविल कारावास के निर्णय को अपास्त किया गया है । आरआरडी 1996 पेज 585 की नजीर से भी हम पूर्णतया सहमत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पारित निर्णय मे जुर्माना एवं बेदखली का आदेश यथावत कायम रखते हुए अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करें।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner